

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

जिला विकास अधिकारी,
(संलग्न गिड सी-049 के अनुसार)
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक- सी-049 /बजट/2015-2016 लखनऊ :: दिनांक :: 18,मार्च,2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-2016 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत 03-मुख्य अधिष्ठान(ब्लाक बजट) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-9/678/38-3-2015-1105/2014 दिनांक 30.अप्रैल,2015 एवं शासनादेश संख्या-15/1667/38-3-2015-1105/2014 दिनांक 31.08.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान(ब्लाक बजट) के अन्तर्गत दी गयी स्वीकृति रूपये 566,11,85,000.00(रूपये पांच सौ छियासठ करोड़ ग्यारह लाख पिच्चासी हजार मात्र) में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष संलग्न एलाटमेंट गिड संख्या-001-C-049-Budget-2015-16 दिनांक 18-03-2016 में दिये गये विवरण के अनुसार रूपये 1,03,90,880.00(रूपये एक करोड़ नब्बे लाख आठ सौ अस्सी मात्र) सुसंगत मद में निर्धारित वित्तीय प्राविधानों के अनुसार व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपको आवंटित की जाती है:-

1- यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

2- यह अवगत कराना है कि वेतन,मंहगाई भत्ते व अन्य भत्ते मद में धनराशि बजट की उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जा रही है। अतएव शासनादेश संख्या-बी-3-1497/ दस-2010-100(4) -ब0मै0-टी0सी0-॥ दिनांक 21.जून,2010 के अनुसार गृपिंग व्यवस्था के अनुसार का आहरण सुनिश्चित करें।

3- आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते समय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का कडाई से पालन किया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मानक मद में व्यय आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो।

4- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में आवंटित धनराशि के सम्बंध में निर्देशित करना है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 दिनांक 20.09.2011 के भाग-5 के प्रस्तर संख्या-21 के अनुसार प्रतिपूर्ति की धनराशि उसी "शीर्ष" से आहरित की जायेगी जिससे सामान्यतया वेतन, भत्ते और पेंशन आदि आहरित किये जाते हैं। अतएव भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बंधित कार्मिक को भुगतान उसी "शीर्ष" से किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत उसके वेतन भत्ते आदि भुगतान हुए हैं। तदकम में संलग्नक संख्या-2 में अंकित सूची के अनुसार सम्बंधित को भुगतान कराना सुनिश्चित करें साथ ही धनराशि का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बंधित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नहीं किया गया है तथा यदि कोई चिकित्सा व्यय अग्रिम स्वीकृत किया गया हो तो उसका समायोजन कर लिया जाये किसी भी दशा में किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोहरा भुगतान न होने पाये उपर्युक्त शर्तों तथा निर्धारित वित्तीय नियमों के उल्लंघन अथवा दोहरे भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी।

5- इसके अतिरिक्त वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1 -1195/दस -16/94 दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30. मार्च, 2015 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्यय के अनुदान संख्या 13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम -आयोजनेत्तर-पक्ष" के अन्तर्गत संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखा शीर्षक /प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7- उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनेत्तर पक्ष)के पृष्ठ संख्या 68 पर अंकित कर ली गयी है।

आपसे अनुरोध है कि मासिक व्यय विवरण (बी0एम04)डी0डी0ओ0रिकन्सलिएशन शीट सहित आहरण के अगले माह की 10 तारीख तक इस कार्यालय में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राम प्रकाश पाल)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।

पत्रांक-सी-049 /बजट(1)/2015-16 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, (संलग्न ग्रिड सी-049 के अनुसार), उत्तर प्रदेश।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 3- विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग-3 ।
- 4- संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 ।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, (संलग्न ग्रिड सी-049 के अनुसार), उत्तर प्रदेश।
- 6- गार्ड फाइल हेतु।

(राम प्रकाश पाल)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।